न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 07/2019, जिला अलवर

1. सुल्तान पुत्र रामसहाय
2. रामपाल पुत्र रामसहाय
3. धन्ना पुत्र रामसहाय
4. मातादीन पुत्र रामसहाय
5. गोविन्दा पुत्र रामसहाय

समस्त जाति माली निवासीयान ग्राम निवासी धीरोडा तहसील राजगढ जिला अलवर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रेम देवी पुत्री रामसहाय पत्नी कैलाश जाति माली निवासी पटटी बीना वारी धीरोडा तहसील राजगढ जिला अलवर।

—रेस्पोंडेन्ट

2. तहसीलदार तहसील राजगढ जिला अलवर।
3. सब रजिस्ट्रार तहसील राजगढ जिला अलवर।
4. अनोखी पुत्री रामसहाय पत्नि लक्ष्मण जाति माली निवासी धीरोडा तहसील राजगढ जिला अलवर।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर दिनांक 30.06.2016

उपस्थित—

1. श्री राकेश बापलावत वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट नं 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —05.12.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 30.06.2016 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 प्रेम देवी पुत्री रामसहाय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के समक्ष विवादित आराजी भूमि आराजी खसरा नं. 73 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 74 रकबा 0.41 है0, खसरा नं. 76 रकबा 0.76 है0, खसरा नं. 113 रकबा 0.24 है0, खसरा नं. 114 रकबा 0.61 है0, खसरा नं. 115 गैर मुमकिन चाह रकबा 0.06है0, खसरा नं. 116 रकबा 0.47 है0, खसरा नं. 117 रकबा 0.97 है0, कुल किता 8 रकबा 3.63 है0 वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ में स्थित भूमि के ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 18 को गलत बताते निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2016 को अपील स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ को विधिवत् वारिसान् की पुनः सुनवाई कर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 30.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट सुल्तान पुत्र रामसहाय वगै0 जाति माली द्वारा यह अपील

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर के निर्णय दिनांक 30.06.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । रेस्पोडेण्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी भूमि आराजी खसरा नं. 73 रकबा 0.11 है0, खसरा नं. 74 रकबा 0.41 है0, खसरा नं. 76 रकबा 0.76 है0, खसरा नं. 113 रकबा 0.24 है0, खसरा नं. 114 रकबा 0.61 है0, खसरा नं. 115 गैर मुमकिन चाह रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 116 रकबा 0.47 है0, खसरा नं. 117 रकबा 0.97 है0, कुल किता 8 रकबा 3.63 है0 वाके ग्राम धीरोडा तहसील राजगढ अपीलांट के पिता रामसहाय के कब्जे काश्त की भूमि है। रामसहाय की मृत्यु सन् 1982 में हो चुकी है एवं नामान्तरकरण संख्या 18 सन् 1991 में खोला गया था। इस प्रकार मृतक रामसहाय की भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 4 का कोई हक व अधिकार नहीं है क्योंकि पुत्रियों को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 जिसका संशोधन 2005 के अनुसार पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार 20.12.2004 के बाद दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने भी बिना तथ्यों की जॉच एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 18 को निरस्त कर दिया एवं इसकी पालना में तहसीलदार राजगढ ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 4 के हक में नया नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर दिनांक 30.06.2016 निरस्त किया जावे। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा ग्राम पंचायत धीरोडा से रामसहाय के वारिसान की जॉच करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं इसी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 10.05.2019 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद विरासत के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को लेकर है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा ग्राम पंचायत धीरोडा से मृतक रामसहाय के वारिसान की जॉच करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें प्रेम देवी को मृतक रामसहाय की पुत्री होना अंकित किया गया है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उसका नामांतरकरण विरासत के आधार पर ही खोला जाना चाहिए एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पुत्रियों को पिता की सम्पत्ति में अधिकार दिये गये हैं एवं इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ को

Scanned with OKEN Scanner

विधिवत् वारिसान् की पुनः सुनवाई कर नियमानुसार पुनः निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय दिनांक 30.06.2016 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं तथा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 30.06.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. निरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner